दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शुक्रवार 24 सितंबर 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 355

महत्वपूर्ण एवं खास

शोपियां में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, पिस्टल और गोला बारूद बरामद

जम्मू (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के शोपियां के कुशवा इलाके में आज सुबह सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने कहा कि कल रात एक आतंकवादी, अनायत अशरफ डार ने कशवा गांव में एक नागरिक पर गोली चलाई और उसे घायल कर दिया। कश्मीर पुलिस ने कुशवा गांव में एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और इलाके की घेराबंदी कर दी। उन्होंने कहा कि आतंकवादी को पहले सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बाद में उसे मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। उसके पास से एक पिस्टल और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। घायल नागरिक अभी भी अस्पताल में भर्ती है।

स्कूल की छत गिरने से 25 छात्र-छात्राएं और 3 मजदूर हुए घायल

सोनीपत (आरएनएस)। हरियाणा के सोनीपत में एक स्कूल की छत गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया है। छत गिरने से करीब 25 छात्र-छात्राओं को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को पीजीआई अस्पताल में रेफर किया गया है। ये हादसा सोनीपत के गन्नौर में हुआ है, जहां गांव बाय रोड पर स्थित एक स्कूल की छत गिर गई। इस हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा छात्र-छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 3 मजदूर भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं।

फर्जी टूलकिट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को शीघ्र निराकरण करने कहा

रायपुर (आरएनएस)। फर्जी टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ शासन की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को मामले का शीघ्र निराकरण करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा जारी अंतरिम आदेश के संबंध में कहा है कि मामले की जांच प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए हाई कोर्ट को अनवारटेड ऑबजर्वेशन्स नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कार्ट ने हाई कोर्ट को उसके अंतरिम आदेश में ऐसे ऑबजर्वेशन्स को विलोपित करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये दिशा निर्देश आज विभिन्न समाचार माध्यमों में छपी उस खबर से भिन्न है जिनमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा नेता संबित पात्रा के खिलाफ जांच पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। असल में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हमें इस मामले में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का कोई कारण नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को मामले के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।

महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच को प्रयागराज पहुंची सीबीआई टीम

प्रयागराज (आरएनएस)। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्व. महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में राज्य सरकार की संस्तुति के बाद सीबीआई टीम जनपद पहुंच चुकी है। खबर है कि वह पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन में बैठक कर रही है। हालांकि अभी इसे लेकर कोई भी अधिकारिक बयान नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई की पांच सदस्यीय टीम जनपद पहुंच चुकी है। केस को अपने हाथ में लेने से पहले अभी तक की गई जांच के बारे एसआईटी की टीम से बातचीत हो रही है। टीम ने एफ्आईआर की कॉपी भी ली है। उल्लेखनीय है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत से देश के संतों में आक्रोश है। प्रयागराज, अयोध्या व आसपास के जिलों के संतों का कहना है कि महंत नरेंद्र गिरि खुदकुशी नहीं कर सकते है। उन्होंने राज्य सरकार से पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। बुधवार की देर रात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने महंत नरेंद्र गिरि मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। महंत नरेंद्र गिरि के मौत मामले में जांच कर रही 18 सदस्यीय टीम गुरुवार को पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है।

यूपी, मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में अगले 4 दिन तक होगी झमाझम बारिश, आईएमडी का अलर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में इस साल मॉनसून समय सीमा से भी आगे आकर सक्रिय है और यही कारण है कि गुजरात, बंगाल और महाराष्ट्र के आसपास की नदियों में जल स्तर में वृद्धि हो रही है और कई बड़े इलाकों को जलभराव का सामना करना पड़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अब पूर्वानुमान लगाया है कि यूपी, मध्य प्रदेश, समेत देश के कुल 10 राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और कोलकाता में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है।

अपने नए बुलेटिन में आईएमडी ने कहा है कि कम दबाव वर्तमान में दक्षिण-पश्चिम झारखंड और छत्तीसगढ़ के उत्तर में चक्रवाती परिसंचरण के साथ बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान निम्न दबाव कमजोर हो सकता है। अगले तीन दिनों में यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर उत्तर छत्तीसगढ़ और उत्तरी मध्य प्रदेश में चक्रवाती परिसंचरण के रूप में आगे बढ़ने की उम्मीद है।

इसके अलावा, आईएमडी बुलेटिन में यह भी कहा गया है कि एक चक्रवाती परिसंचरण पश्चिमी राजस्थान और उसके पड़ोस में निचले क्षोभमंडल स्तर पर स्थित है और 24 सितंबर तक इसके वहीं रहने की संभावना है।

यूपी में भी भारी बारिश- आईएमडी बुलेटिन के पूर्वानुमान के अनुसार 24 सितंबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। आईएमडी बुलेटिन में कहा गया है कि 26 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान और गुजरात में भारी बारिश के साथ व्यापक रूप से व्यापक वर्षा होने की संभावना है। 24 सितंबर तक छत्तीसगढ़, विदर्भ और मध्य प्रदेश में और 23 सितंबर तक मध्य महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण और मराठवाड़ा में अलग-अलग भारी वर्षा के साथ व्यापक रूप से व्यापक वर्षा होने की

संभावना है। इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधि में कल के बाद कमी देखी जाएगी। उत्तराखंड में 26 सितंबर तक भारी बारिश के साथ व्यापक वर्षा होगी।

कई राज्यों में जलभराव- गुजरात के वडोदरा शहर की वाघोड़िया तहसील के गांवों में भारी जलभराव हो गया। तस्वीरों में लोग बारिश के पानी से भरी सड़कों पर चलते देखे गए। पानी लोगों के कमर तक पहुंच गया था। महाराष्ट्र के नासिक में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था, जहां अत्यधिक बारिश के कारण गोदावरी नदी का जल स्तर बढ़ गया था।

कोलकाता में 14 सालों में सबसे अधिक बारिश- इस बीच, पश्चिम बंगाल की राजधानी -कोलकाता समेत राज्य के कई अन्य जिलों और कस्बों में, लगातार बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को इस सब के कारण असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

मौसम विभाग ने कहा कि कोलकाता में पिछले 14 सालों में सितंबर में एक दिन में इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई है। सोमवार को सुबह 8.30 बजे तक, शहर में 142 मिमी बारिश हुई। 25 सितंबर, 2007 के बाद से होने वाली यह सबसे अधिक बरसात है।

ओडिशा और बंगाल में भारी बरसात- गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में व्यापक रूप से व्यापक वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी बुलेटिन में कहा गया है कि 24 सितंबर की शाम के आसपास पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।

नहर में गिरी बस, 6 की मौत, 2 की हालत नाजूक

रायगंज (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में एक बस के नहर में गिरने से छह प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार , यह घटना बीती रात करीब 10 बजे हुई जब पश्चिम बंगाल और झारखंड के अलग-अलग जिलों से करीब 20 प्रवासी मजदूरों को लेकर चार्टर्ड बस उत्तर प्रदेश में लखनऊ की ओर जा रही थी। बस में करीब 100 यात्री सवार थे।

उन्होंने बताया कि रायगंज पुलिस थाना इलाके में रूपाहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर बस एक नहर में गिर गई। घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए और उन्हें रायगंज मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि वह गोताखारों की मदद से नहर में यह तलाश कर रही है कि क्या अब भी कोई लापता है।

उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर अपने घर लौट आए थे। अब वे कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक लेने के बाद वापस अपने कार्य स्थलों पर जा रहे थे। झारखंड से कुछ मजदूरों को लेने के बाद बस पश्चिम बंगाल में रह रहे मजदूरों को लेने आई। जब घटना हुई तब बस लखनऊ की ओर जा रही थी।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार हादसा रायगंज में निर्माणाधीन नेशनल रोड और ओल्ड नेशनल रोड के जंक्शन पर रूपहार के पास हुआ। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, बस नियंत्रण खो बैठी और नहर में जा गिरी। यह भी बताया गया कि बस में एक से अधिक बच्चे और महिला सवार थे। बस में करीब 100 यात्री सवार थे। बस यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग दौड़ पड़े। उसके बाद उस भयानक मंजर को देखकर लगभग हर कोई हैरान रह गया। बस कीचड़ में पलट गई थी।

अब हर भारतीय को मिलेगा यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड

नई दिल्ली(आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (पीएम-डीएचएम) योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले यह योजना राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) के नाम से चल रही थी।

सूत्रों के अनुसार पीएम-डीएचएम डेटा, सूचना और बुनियादी ढांचा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से एक कुशल,समावेशी, किफायती और सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है। केंद्रीय स्वास्थ मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक जो यूनिक आईडी मिलेगी वह लोगों के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की मदद से बनेगी। प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन का मकसद भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और बेहतर करना है। इसे हेल्थकेयर की जरूरतों का वन-स्टॉप सॉल्यूशन बनाने की तैयारी है। इससे हेल्थकेयर सर्विस देने वाले संस्थानों तक पहुंचना ज्यादा आसान होगा। प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन केंद्र सरकार की पायलट प्रोजेक्ट योजना है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे चलाया जा रहा है। इसको तहत केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, और दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में आंकड़े जुटाए जा रहे हैं।

कोरोना से निपटने के लिए भारत ने जो किया, कोई अन्य देश नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

» कोरोना से मौत पर आश्रितों को 50 हजार के मुआवजे के फैसले का सराहा

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना से निपटने में केंद्र सरकार के इंतजामों और कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपए देने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुशी जाहिर की है। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 50 हजार रुपए देने के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम बहुत खुश हैं और भारत ने जो किया है, ऐसा किसी अन्य देश ने नहीं किया होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस फैसले पर विचार किया और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 4 अक्टूबर फैसला सुनाएगा।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से उन लोगों के परिजनों को थोड़ी सांत्वना मिलेगी, जिन्होंने अपनों को खोया है। न्यायमूर्ति एमआर शाह ने कहा कि आज हम बहुत खुश हैं। जस्टिस शाह ने कहा कि हमें खुशी है कि पीड़ित व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए कुछ किया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने सिफारिश की है कि कोविड -19 से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपये दिए जाएं, इसकी सूचना केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को दी है। जस्टिस शाह और एएस बोपन्ना ने भी कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए भारत के इंतजामों की सराहना की। जस्टिस शाह ने कहा कि हम यह भी जानते हैं कि वित्तीय बाधाएं हमेशा होती हैं। सरकारों को अन्य परियोजनाएं भी चलानी पड़ती हैं, जो एक कर्तव्य है और जिसे वे भी पूरा कर रहे हैं। अधिक जनसंख्या और वित्तीय बाधाओं की इतनी सारी समस्याओं के बावजूद बेहतर कदम उठा गए हैं। भारत ने जो किया है, किसी अन्य देश ने नहीं किया होगा।

दरअसल, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना से मौत पर परिवार को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र ने स्पष्ट किया था कि यह मुआवजा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा और इसमें वो लोग भी शामिल होंगे, जो कोरोना की लड़ाई में किसी न किसी तरह से जुड़े थे।

पेगासस जासूसी कांड : जांच के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी का गठन करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। केस की सुनवाई करते हुए गुरुवार को चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि इसकी जांच के लिए उच्चतम न्यायालय एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी का गठन करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह अगले सप्ताह इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर स्वतंत्र आदेश देगा।

चीफ जस्टिस ने इस मामले से जुड़े एक अधिवक्त सीयू सिंह से बताया कि हम पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए एक तकनीकी टीम का गठन करेंगे। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने उनसे

कहा कि कि वे दूसरे अधिवक्ताओं को बता दें कि अगले सप्ताह हमारी ओर से इस संबंध में अंतिम आदेश जारी किया जाएगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में अगले सप्ताह आदेश जारी किया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रुख पर नाराजगी जाहिर की थी। अदालत ने कहा था कि हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल आम लोगों की जासूसी के लिए किया है या नहीं।

इससे पहले केंद्र सरकार ने इस मामले में कोई हलफनामा दाखिल करने से इनकार कर दिया था। सरकार का कहना था कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं होगा। केंद्र सरकार का कहना था कि ऐसा करने से देश के दुश्मनों को यह पता लग सकता है कि हम उन पर नजर रखने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसा कुछ भी न बताएं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ठीक न हो। लेकिन हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि क्या कुछ लोगों पर निगरानी के लिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया था। स्वतंत्र जांच का अनुरोध करने वाली याचिकाएं उन खबरों से संबंधित हैं जिसमें सरकारी एजेंसियों पर कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों, नेताओं और पत्रकारों की इजराइली कंपनी एनएसओ के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर जासूसी करने का आरोप है।

कम नहीं होगा कोविशील्ड के डोज का अंतर : केंद्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत सरकार कोविड रोधी वैक्सीन कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच 84 दिन के अंतर को कम करने के किसी भी फैसले पर विचार नहीं कर रहा है। वरिष्ठ विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार कोविशील्ड की दो खुराक के बीच के अंतर को नहीं घटाएगी।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात कही जा रही थी कि भारत में जल्द ही कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच के समय को कम किया जा सकता है, जिससे लोग कम समय में कोविशिल्ड के दोनों डोज ले सकेंगे, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी विचार नहीं किया गया है। दरअसल, पिछले दिनों केरल हाईकोर्ट ने कोविशील्ड टीके की पहली खुराक के चार सप्ताह बाद ही दूसरी खुराक लेने का आदेश जारी किया था, लेकिन केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र ने अपील दायर की। केंद्र ने अपनी अपील में कहा है कि अगर केरल हाईकोर्ट की एकल पीठ की ओर से तीन सितंबर को दिए गए आदेश को वापस नहीं लिया गया तो कोविड-19 से मुकाबला करने की केंद्र सरकार की रणनीति के क्रियान्वयन में समस्या पैदा हो सकती है। कोविशील्ड के दूसरे डोज के लिए 12 हफ्तों यानी 84 दिनों के लिए इंतजार करना जरूरी है।

जलमार्ग मंत्री सोनोवाल आज न्यू मंगलौर बंदरगाह पर तीन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कल न्यू मंगलौर बंदरगाह पर तीन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें ट्रक पार्किंग टर्मिनल की आधारशिला रखना और यूएस माल्या गेट का रूपपरिवर्तन और नवनिर्मित व्यापार विकास केंद्र को राष्ट्र को समर्पण करना शामिल हैं।

बेहतर आंतरिक संपर्क के कारण, इस बंदरगाह पर कंटेनर और अन्य सामान्य कार्गो यातायात तेजी से बढ़ रहा है। न्यू मंगलौर बंदरगाह से दक्षिण कन्नड़ जिले और कर्नाटक राज्य के बाहर दूरदराज के स्थानों पर कार्गो की निकासी के लिए प्रतिदिन लगभग 500

ट्रकों का आना और जाना हो रहा है। हालांकि बंदरगाह ने लगभग 160 ट्रकों के लिए पार्किंग की सुविधा प्रदान की है, लेकिन मौजूदा क्षेत्र अपर्याप्त पाया गया है। 2 करोड़ रुपये की लागत से 16000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए हार्ड सरफेस ट्रक पार्किंग टर्मिनल का निर्माण किया गया है। 1.9 करोड़ रुपये की लागत से 17000 वर्ग मीटर का अतिरिक्त ट्रक पार्किंग क्षेत्र विकसित किया जाएगा। ट्रक टर्मिनल को 2022-23 में 5.00 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर कंक्रीट फुटपाथ, गेट हाउस, रेस्तरां और छात्रावास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

न्यू मंगलौर बंदरगाह ट्रस्ट के पूर्वी गेट को यूएस माल्या गेट कहा जाता है, जिसका नाम बंदरगाह के संस्थापक के नाम पर रखा गया है। यह एनएच-66 के सामने है। गेट परिसर के प्रस्तावित संशोधन की लंबाई 46.6 मीटर और चौड़ाई 13.5 मीटर है। गेट परिसर में ट्रकों, चार पहिया यात्री वाहनों, बाइक, पैदल चलने वालों के लिए अलग-अलग लेन के साथ आरएफआईडी प्रणाली के प्रावधान, रेडियोलॉजिकल निगरानी उपकरण, बूम बैरियर आदि है। संशोधन कार्य की लागत 3.22 करोड़ रुपये है। यह कार्य मार्च 2022 तक पूरा होने की संभावना है।

बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर और टेस्टिंग सेंटर आईओसी रिटेल आउटलेट से सटे एनएच 66 के पश्चिमी किनारे पर 2.80 एकड़ के क्षेत्र में बने हैं। बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर एक स्टिल्ट + ग्राउंड + तीन मंजिला इमारत है जिसमें कुल कार्पेट एरिया 6300 वर्गमीटर और 1200 वर्ग मीटर में टेस्ट सेंटर बिल्डिंग है। निर्यात और परीक्षण केंद्र के लिए बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर परियोजना की लागत 24.57 करोड़ रुपये है। बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर में एक सम्मेलन हॉल, रेस्तरां, डाकघर, बैंक आदि होंगे। यह एक छत के नीचे एक्जिम कारोबारियों को सभी सुविधाएं प्रदान करेगा।

न्यू मंगलौर बंदरगाह, कर्नाटक का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह, आदर्श रूप से कोचीन और गोवा बंदरगाहों के बीच स्थित है। बुनियादी ढांचे का डिजाइन इस तरह किया गया है कि जिससे जहाजों को ग्राहकों की लॉजिस्टिक आवश्यकताओं पर तेजी से ध्यान केंद्रित में मदद मिले। बंदरगाह में 15 पूरी तरह से परिचालित बर्थ हैं जो कोयला और अन्य कार्गो कंटेनर को संभालते हैं। न्यू मंगलौर बंदरगाह ट्रस्ट एक आईएसओ 9001, 14001 और आईएसपीएस के अनुरूप बंदरगाह है क्योंकि सुरक्षा पर इसका पूरा जोर है। पर्यावरण के प्रति जागरूक होने के कारण, बंदरगाह हरित पट्टी विकसित करने वाली पारिस्थितिक सुधार परियोजनाओं और खाड़ी में सफाई अभियान को प्रमुखता से पालन करता है।